

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: प. 1(23)चिस्वा-2/2009

जयपुर, दिनांक 09.12.2009

अति आवश्यक

आज्ञा

मेरे ध्यान में लाया गया है कि कई जिलों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर पदस्थापित चिकित्सकों से अन्यत्र काम लिया जा रहा है जिससे ऐसे संस्थानों में चिकित्सा संबंधित कार्य प्रभावित हो रहा है। ऐसे सभी चिकित्सकों को उनके मूल पदस्थापन पर कार्य करने हेतु कार्यमुक्त कर तत्काल सूचित करें।



(जी.एस. संघु)

प्रमुख शासन सचिव

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, चिकित्सा मंत्री जी।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चि0 स्वास्थ्य एवं प0क0 विभाग।
4. समस्त संभागीय आयुक्त
5. समस्त जिला कलेक्टर
6. समस्त प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
7. निदेशक, जेन स्वा0/एड्स/परिवार कल्याण, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वा0 सेवाएं जोन।
9. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
10. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
11. समस्त अनुभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
12. निजी/रक्षित पत्रावली।

निजी सचिव

*Sending to  
all concerned  
12/12*

*Handwritten initials*

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:- संस्था/चि0310/एटी/प.2/09/2784 दिनांक:- 10/12/09

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 समस्त संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन राजस्थान।
- 2 समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान।
- 3 ~~प्रधानी सेंट्रल सर्वर रूम मुख्यालय।~~
- 4 निजि पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

अति० निदेशक(राजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर